



संगीत नाटक अकादेमी
संगीत, नृत्य एवं नाट्य की राष्ट्रीय अकादेमी
रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली

दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर आयोजित होने वाले नृत्य, संगीत तथा नाट्य कार्यक्रमों हेतु एम्बियंस, स्टेज, प्रदर्शनी, होर्डिंग, कारपेंट्री से सम्बंधित कार्यों, पुष्प-सज्जा आदि के लिए दिल्ली स्थित वेंडर्स तथा सेवा प्रदाताओं से एक सीलबंद लिफाफे में 'दो बोली प्रणाली' अर्थात् पूर्व अर्हता सह तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के तहत संगीत नाटक अकादेमी मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित करती है। अन्य शहरों/देश के दूसरे राज्यों के वैसे वेंडर्स तथा सेवा प्रदाता जो अपने शहर/राज्य या निकट के क्षेत्रों में संगीत नाटक अकादेमी की तरफ से आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े कार्यों के लिए अपनी सेवाएँ देना चाहते हैं, पैनल में नाम शामिल करने के लिए उनसे भी निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दस्तावेज़ों का पूरा सेट जिसमें नियम तथा शर्तें, तथा उपकरणों का विशेष विवरण अकादेमी की वेबसाईट: www.sangeetnatak.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अकादेमी बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को अंशतः या पूर्णतः स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। निविदाएँ इस सूचना के विज्ञापित होने के 30 दिनों के भीतर संगीत नाटक अकादेमी में जमा की जा सकती हैं।

सचिव
संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली

संगीत नाटक अकादेमी
संगीत, नृत्य एवं नाट्य की राष्ट्रीय अकादेमी
रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली

नियम एवं शर्तें
पूर्व अहर्ता सह निविदा सूचना हेतु

संगीत नाटक अकादेमी द्वारा दिल्ली या दिल्ली से बाहर आयोजित किए जाने वाले उत्सवों, प्रदर्शनियों, सेमिनार, बैठकों, संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान एम्बियंस, स्टेज, प्रदर्शनी, होर्डिंग, कारपेंट्री से सम्बंधित कार्यों, पुष्प-सज्जा आदि कार्यों हेतु।

संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली-संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रस्ताव द्वि लिफाफा प्रणाली अर्थात लिफाफा संख्या-1 : पूर्व अहर्ता सह तकनीकी बोली तथा लिफाफा संख्या-2 : आर्थिक बोली के अन्तर्गत अकादेमी द्वारा आयोजित उत्सवों, प्रदर्शनियों, सेमिनार, बैठकों, संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान एम्बियंस, स्टेज, प्रदर्शनी, होर्डिंग, कारपेंट्री से सम्बंधित कार्यों, पुष्प-सज्जा आदि हेतु दिल्ली स्थित वेंडरों तथा सेवा प्रदाताओं से पूर्व अहर्ता सह निविदा आमंत्रित करती है।

अन्य शहरों/देश के दूसरे राज्यों के वैसे वेंडर्स तथा सेवा प्रदाता जो अपने शहर/राज्य या निकट के क्षेत्रों में संगीत नाटक अकादेमी की तरफ से आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े कार्यों के लिए अपनी सेवाएँ देना चाहते हैं, पैनल में नाम शामिल करने के लिए उनसे भी निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

इच्छुक कम्पनियों/एजेंसियों के पास राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एम्बियंस कार्य, स्टेज, प्रदर्शनी, होर्डिंग, कारपेंट्री से सम्बंधित कार्यों, नृत्य/नाट्य/फिल्म/टीवी तथा अन्य प्रकार के मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों हेतु पुष्प-सज्जा आदि का कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इच्छुक कम्पनियों/एजेंसियों को चाहिए कि वे द्वि बोली प्रणाली के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव जमा कराएँ, जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज़ तथा सूचनाएँ दर्ज हों:

लिफाफा 1 : पूर्व अहर्ता सह तकनीकी बोली

लिफाफे पर इसको बड़े-बड़े और स्पष्ट गाढ़े अक्षरों में लिखना है।

पूर्व-अहर्ता दस्तावेज़:

1. पैनल नंबर की एक फोटो प्रति।
2. डब्ल्यूसीटी, वीएटी, ईएसआई, पीएफ पंजीयन, सेवाकर पंजीयन आदि का प्रमाण।

3. कार्यो की सूची, दस्तावेजी प्रमाणों के साथ, जिससे यह पता चल सके कि आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाटक, नृत्य तथा सांगीतिक आयोजनों, फिल्मों, मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, बड़े आयोजनों तथा इससे मिलती-जुलती अन्य परियोजनाओं को कार्यरूप दिया है।
4. फर्म की विस्तृत संरचना जिसमें निदेशक / भागीदार / प्रोपराइटर के साथ ही तकनीकी कर्मचारियों आदि का पूरा विवरण हो।
5. पिछले 3 साल अर्थात 2013-14, 2014-15 और 2015-16 का ऑडिट बैलेंस शीट।
6. इसी प्रकृति की कम-से-कम तीन परियोजनाओं का विवरण, जिसको आपने अंतिम रूप दिया हो, तथा जिनमें से प्रत्येक का न्यूनतम बिल कम-से-कम 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) रुपये रहा हो। मार्च 2016 तक, पिछले तीन वर्षों में आपकी कम्पनी/फर्म का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार कम-से-कम 50,00,000/- रुपये (पचास लाख रुपये मात्र) होना चाहिए।
7. 50/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट, जिसमें यह निर्दिष्ट हो कि "किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की संदिग्धता है, तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार होंगे और इस कृत्य के लिए कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, उसके लिए उत्तरदायी होंगे।" (जमा किए गए सभी दस्तावेजों की सूची)
8. निविदा के साथ जमा किए जाने वाले सभी दस्तावेजों का सत्यापन राजपत्रित अधिकारी या सार्वजनिक उपक्रम / पीएसयू के किसी अधिकारी या उनके सीए / नोटरी पब्लिक द्वारा किया गया होना चाहिए।
9. निविदाकर्ता एक आत्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह यह प्रमाणित करेगा कि फर्म/कम्पनी/संस्थान को किसी भी सरकार/पीएसयू द्वारा कभी भी विवर्जित/काली सूची में सूचीबद्ध/पंच-निर्णय के लिए नहीं बुलाया गया है। यदि निविदाकर्ता ने भूत में कभी पंच-निर्णय की मांग की है तो विवरण प्रस्तुत करें।

इस नोटिस में दर्ज सभी शर्तों का अनुपालन करते हुए ही बोलीदाता को अपनी निविदा जमा करानी होगी, अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी। संगीत नाटक अकादेमी न्यूनतम बोली वाली निविदा स्वीकृत करने अथवा अपने निर्णय के पक्ष में कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। बोली के साथ इस निविदा दस्तावेज की एक प्रतिलिपि संलग्न होनी चाहिए, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाताओं के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप में हस्ताक्षर और मुहर होने चाहिए तथा बाध्य रूप में, जो बोली दस्तावेज की शर्तों की स्वीकृति के चिह्न के रूप में दर्ज रहेगा। लिफाफा संख्या 1 (तकनीकी बोली) में अपेक्षित दस्तावेज यदि अपूर्ण पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में निविदा खारिज कर दी जाएगी, और निविदाकर्ता द्वारा जमा कराए गए लिफाफा संख्या 2, जिसमें कि वित्तीय बोली से सम्बंधित दस्तावेज होंगे, को नहीं खोला जाएगा।

निविदा दस्तावेज उप सचिव (प्रशासन), रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली-110001 के कार्यालय में जमा कराने होगा। विज्ञापन जारी होने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर निविदा दस्तावेज उप सचिव कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। तीस दिनों के बाद कोई भी निविदा दस्तावेज अस्वीकार्य होंगे।

लिफाफा संख्य 2 -निर्धारित प्रारूप में वित्तीय बोली, जिसमें दरों की बोली होनी चाहिए।

लिफाफे में बड़े-बड़े और बोल्ड अक्षरों में वित्तीय बोली, एजेंसी का नाम आदि तथा अंतिम तिथि अंकित करना है। तत्पश्चात दोनों लिफाफों को एक अन्य बड़े लिफाफे में बंद कर, उस लिफाफे पर बड़े-बड़े तथा बोल्ड अक्षरों में एजेंसी का नाम तथा निविदा जमा करने की अंतिम तिथि लिखनी है।

विशेष टिप्पणी: तकनीकी बोली हेतु जमा दस्तावेजों में तमाम उपकरणों और निर्माता/ब्राण्ड आदि के विस्तृत विवरण के साथ ही प्रस्तावित हार्डवेयर की विशेषताएँ भी दर्ज होनी चाहिए। उपकरणों का मूल्य बताने की आवश्यकता नहीं है। निविदाकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे हमारी निविदा में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार ही मूल्य बताएँ। हालांकि, बोलीदाता चाहें तो विकल्प के रूप में तकनीकी बोली के साथ अलग से अपनी तकनीकी विशेषताओं के साथ अपने सुझाव दे सकते हैं।

नियम एवं शर्तें

संगीत नाटक अकादेमी द्वारा दिल्ली या दिल्ली से बाहर आयोजित किए जाने वाले उत्सवों, प्रदर्शनियों, सेमिनार, बैठकों, संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान एम्बियंस, स्टेज, प्रदर्शनी, होर्डिंग, कारपेंटी से सम्बंधित कार्यों, पुष्प-सज्जा आदि कार्यों हेतु।

1. अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तथा संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली यदि चाहे तो अपने विवेकाधिकार से अनुबंध को एक वर्ष का अवधि-विस्तार दे सकती है।
2. उनके वर्तमान ग्राहकों की सूची (इस व्यवसाय में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।)
3. बोली के लिए निविदा प्रस्तुत करने वाले पक्षों/व्यक्तियों को बयाना राशि (ईएमडी) के रूप में 25,000/- रुपये (पचीस हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट, जो कि सचिव, संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली के नाम देय होगा, जमा कराना होगा; असफल निविदाकर्ताओं के मामले में, प्राप्त बयाना राशि तुरंत अथवा अनुबंध को अंतिम रूप देने के पश्चात लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाताओं की बयाना राशि को सुरक्षा निधि में समायोजित कर दिया जाएगा, जो कि अनुमानित वार्षिक लागत का 5% है।
4. कोई भी निविदाकर्ता, चाहे वह व्यक्ति हो या कोई फर्म, यदि उसका कोई सम्बंधी या निकट सम्बंधी संगीत नाटक अकादेमी या इससे सम्बद्ध संस्थानों में कार्यरत है, तो ऐसा व्यक्ति या फर्म संगीत नाटक अकादेमी के साथ इस प्रकार के किसी भी अनुबंध हेतु पात्र नहीं होगा।
5. कोई व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में हो/अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्त निकायों में कार्यरत हो, वह इस प्रकार के किसी भी अनुबंध हेतु पात्रता नहीं रखता।
6. यदि अनुबंधित व्यक्ति या फर्म द्वारा निष्पादित कार्य अथवा आपूर्ति की गई सामग्री असंतोषजनक पाई जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के ठेका रद्द करने का अधिकार संगीत नाटक अकादेमी को होगा।

7. बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार संगीत नाटक अकादेमी को होगा। इस सन्दर्भ में अकादेमी का फैसला ही अंतिम होगा तथा इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का पत्राचार विचारनीय नहीं होगा।
8. फ़र्म को वीएट विभाग/सेवा कर विभाग के शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट या ऐसे किसी अन्य क़ानून के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
9. अकादेमी की तरफ से किसी भी कार्य के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
10. कार्यक्रम सम्पन्न होने के तुरंत बाद या सामग्री की आपूर्ति के पश्चात अकादेमी के सम्बंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चालान की एक कॉपी के साथ बिल जमा करना होगा तथा किसी भी स्थिति में कार्यक्रम समाप्त होने अथवा किसी सामग्री की आपूर्ति के बाद यह अवधि 15 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। सम्बंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चालान के साथ बिलों को 15 दिनों के अंदर जमा कराना अनिवार्य होगा।
11. दिल्ली से बाहर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान यात्रा-व्यय, भोजन तथा आवास आदि पर आने वाला खर्च फ़र्म स्वयं वहन करेगा।
12. अकादेमी द्वारा दिए गए कार्य-दायित्व को कम-से-कम समय के नोटिस पर भी क्रियान्वित करना होगा।
13. चालान की एक प्रति के साथ मंच/एम्बियेंस सामग्री आदि की आपूर्ति कार्यक्रम स्थल अथवा किसी अन्य वांछित जगह पर करनी होगी तथा परिवहन-खर्च, श्रम-शुल्क, ट्रांसपोर्टेशन, सौंपे गए कार्य पर व्यय आदि का भुगतान अकादेमी द्वारा उसी समय नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यदि इस मद में अकादेमी की तरफ से यदि कोई खर्च किया जाता है तो वह राशि ठेकेदार (ठेकेदारों) के बिल से व्यवकलित कर ली जाएगी। अर्थात् उतनी राशि काटकर बिल का भुगतान किया जाएगा।
14. ऐसी स्थिति में, किसी भी स्तर पर, अगर यह पाया जाता है कि ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक तथा आयोजन/कार्यक्रम/गतिविधि आदि के स्तर का नहीं है, तो कार्य के लिए कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। और यह भी कि यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि अतीत में किसी कार्य हेतु अधिक भुगतान किया गया है, तो वह अतिरिक्त भुगतान की गई राशि वर्तमान बिल में से काट ली जाएगी। सौंपे गए कार्य का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में ठेकेदार की सुरक्षा निधि जब्त कर ली जाएगी और उस ठेकेदार को अकादेमी की काली-सूची में डाल दिया जाएगा।
15. अगर ठेकेदार दिए गए कार्य, चाहे वह कितने ही कम समय में क्यों न सौंपी गई हो, के त्वरित निष्पादन में असफल रहता है, तो अकादेमी को यह आज्ञादी होगी कि वह ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर किसी बाहरी व्यक्ति अथवा संस्था से अपना कार्य-निष्पादन करवा ले। इस पर आने वाला अतिरिक्त खर्च ठेकेदार के बिल से काट लिया जाएगा। जैसे कि, नियम और शर्तें मानने के बाद, किसी भी दायित्व (पूर्णतः या अंशतः) का निर्वहण करने के दौरान यदि ठेकेदार (ठेकेदारों) की अक्षमता के कारण व्यवधान आता है, तो यह माना जाएगा कि ठेकेदार (ठेकेदारों) ने काम के लिए दिए गए आदेश की अवज्ञा की है।

16. चोरी, आग, भगदड़, प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति अथवा हानि का भार ठेकेदार (ठेकेदारों) को ही वहन करना होगा तथा अकादेमी ऐसी क्षति अथवा हानि के लिए किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
17. बिजली की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में ठेकेदार (ठेकेदारों) को अपने खर्च पर अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेना होगा और इस हेतु सम्बंधित विद्युत आपूर्तिकर्ता के पास अग्रिम सुरक्षा निधि भी जमा करानी होगी। बाद में अकादेमी द्वारा सम्बंधित विद्युत आपूर्तिकर्ता (आपूर्तिकर्ताओं) को आपूर्ति रसीद उपलब्ध कराने पर खर्च की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।
18. किराए पर ली गई सामग्री का भुगतान, अकादेमी के निरीक्षण और अनुमोदनाधीन होगा।
19. नियम के मुताबिक बिल भुगतान के समय आयकर की राशि बिल से काट ली जाएगी, पैन नंबर आवश्यक है।
20. वैसे आइटम जिन्हें अस्वीकृत कर दिया गया हो, उसे आयोजन स्थल से ठेकेदार (ठेकेदारों)/आपूर्तिकर्ता (आपूर्तिकर्ताओं) को तत्काल हटाना होगा।
21. आयोजन स्थल पर उपकरणों की सुरक्षा तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
22. टेंडर दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर टेंडरकर्ता का हस्ताक्षर तथा फर्म/एजेंसी का मुहर ज़रूर लगा होना चाहिए।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हमलोगों ने नियमों एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ तथा समझ लिया है तथा मैं/हमलोग ऊपर उल्लेखित सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं।

स्वत्वधारी/अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
एवं मुहर तथा तिथि

संगीत नाटक अकादेमी
नई दिल्ली

वित्तीय बोली

1. **होर्डिंग:-**

- थर्मोकॉल कट आउट लेटर तथा लोगो
- ईको सॉल्वेंट फ्लेक्स प्रिंट
- मैट फिनिश सॉल्वेंट फ्लेक्स प्रिंट
- फ्लेक्स पर ब्लैकआउट सॉल्वेंट प्रिंट
- विनाइल फ्लेक्स/बैनर

इसमें होर्डिंग को लोहे की फ्रेम पर मंढने, स्वीकृत डिजाइन के अनुसार मज़मून तथा लोगो अंकित करने, सेल्फ सपोर्टिंग स्टैंड पर स्थापित करने, तथा परिवहन, मज़दूरी, सामग्री और डिजाइनिंग तक के सभी खर्च समाहित होंगे।

2. **प्लैटफॉर्म:-**

- प्लेन प्लैटफॉर्म की माप:- अर्थात 12'(चौ.)x8'(लं.) (ऊँचाई 1 फीट)
- प्लेन प्लैटफॉर्म की माप:- अर्थात 12'(चौ.)x8'(लं.) (ऊँचाई 1.5 फीट)
- प्लेन प्लैटफॉर्म की माप:- अर्थात 12'(चौ.)x8'(लं.) (ऊँचाई 2 फीट)
- प्लेन प्लैटफॉर्म की माप:- अर्थात 12'(चौ.)x8'(लं.) (ऊँचाई 3 फीट)

उपरोक्त वर्णित प्लैटफॉर्म के निर्माण में सभी लागत यथा सामग्री का मूल्य, हवाइट शीट, थिक कारपेट, मज़दूरी, परिवहन, डिजाइनिंग शुल्क के साथ ही बढ़ई आदि का खर्च भी समाहित होगा।

3. **साइड विंग्स**

- प्लेन साइड विंग्स
- थर्मोकॉल लोगो के साथ
- कपड़े की मास्किंग वाले लकड़ी के फ्रेम के साथ

4. **स्टेज की सहायक सामग्री**

- सम्पूर्ण सामग्री के साथ उद्घाटन दीपक
- पोडियम
 - a) बड़ा पोडियम
 - b) मध्यम पोडियम
 - c) छोटा पोडियम

- लाइटिंग लैम्प

5. प्रदर्शनी पैनल:-

- प्रदर्शनी पैनल की डिजाइनिंग जिसमें सामग्री, मजदूरी, परिवहन, डिजाइनिंग शुल्क तथा बढ़ईगीरी आदि के सभी खर्च समाहित होंगे।
- प्रत्येक पैनल के लिए प्रदर्शनी स्पॉट लाइटिंग की व्यवस्था

6. कलाकारों के लिए ग्रीनरूम की व्यवस्था (पर्दा, आईना तथा कालीन समेत)

7. बढ़ईगीरी से सम्बंधित कार्य

a) बढ़ई का शुल्क (कुशल, अर्द्ध कुशल तथा मजदूर)

- i. 8 घंटे के कार्य हेतु
- ii. अतिरिक्त घंटे कार्य करने पर
- iii. रात्रि शुल्क

b) चौखट (दरवाजा/शीशा सहित)

c) चौखट (दरवाजा/शीशा रहित)

d) अलमारी (दरवाजा/शीशा सहित)

e) अलमारी (दरवाजा/शीशा रहित)

8. पुष्प सज्जा

(प्रति वर्गफीट/मात्रा आदि के आधार पर दर उद्धृत किया जाना चाहिए)

- a) द्वार
- b) उपकक्ष
- c) मंच

- उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रचलित मंच, एम्बिएंस, फ्लेक्स आदि की दर उद्धृत करें (उपरोक्त मदों को छोड़कर)।
- कृपया दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए दरों की सूची उपलब्ध कराएँ।